संख्या–भा.स.–76 / 81–2–2020–800(02) / 2020

प्रेषक,

डॉ0 दीपक कोहली,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक** 30 **जून, 2020**

विषयः– जनपद हमीरपुर में बिलराया–पनवाडी मार्ग (एस.एच.–21) के चैनेज 399.600 से 427.000 (चिकासी से राठ) चार लेन के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में 4.32 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं 2611 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या–8बी / यूपी / 06 / 38 / 2020 / एफ.सी / 673, दिनांक 15.06.2020 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर आख्या मांगी गई है, जो निम्नवत है :–

1- Approval of the project from the competent authority has to be submitted.
2- No objection certificates of concerned departments needs to be submitted.
3- Land schedule of the project need to be submitted.
4- Mick disposal plan approved by the DFO has to be submitted.
5- FRA certificate is without seal of DM.
6- It is not clear that how many trees are proposed to be felled. In the cost benefit analysis number of trees proposed to be felled is mentioned as 2684 and no. of trees to be planted as per CA is mentioned as 5368. This needs clarification.
7- As per Google earth imageries proposed land th be diverted is falling in habitation area.
8- Demarcation of CA land patches on SOI toposheet is not in standard format. (shape of CA land patterns on SOI toposheet and Geo reference map is not matching).
9- Agriculture pattern is seen on CA land patches. (Kangran-I, Khangran-II and Chandaut forest block)

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संलग्न पत्र दिनांक 15.06.2020 में उल्लिखित कमियों का निराकरण कर आख्या / तत्सम्बन्धी अभिलेख अपनी संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 दीपक कोहली)
उप सचिव।

Data D. SO.Nodal.GO